(9)

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु कुमार आई.ए.एस

मि0न0 139/14

रजू दिनांक 29.12.2014

उनवान

1. रामगोपाल पुत्र भैरोलाल जाति मीना निवासी गुवरेडा तहसील मासलपुर जिला करौली

--अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये- तहसीलदार तहसील मासलपुर जिला करौली —रेस्पोडेन्ट

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 10.09.2014 न्यायालय तहसीलदार मासलपुर उनवानी सरकार बनाम रामगोपाल मुकदमा नम्बर 239/14 अर्न्तगत धारा 91 एल आर एक्ट जिसके रूह से अपीलांटस् तीन माह के सिविल कारावास व पैनल्टी से दण्डित किया गया है के विरूद्व धारा 75 एल आर एक्ट

उपस्थिति 1. राजेश शर्मा एडवोकेट
2.ब्रह्मानन्द बंसल एडवोकेट पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः—28/08/2017

यह अपील अपीलान्ट की ओर से जरिये अभिभाषक ने न्यायालय तहसीलदार मासलपुर के मुकदमा नं0 239/2014 अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उनवानी सरकार बनाम रामगोपाल पुत्र भैरोलाल जाति मीना निवासी गुवरेडा तहसील मासलपुर मे पारित निर्णय दिनांक 10.09.2014 से व्यथित होकर न्यायालय हाजा में पेश की हैं।

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.09.2014 एक तरफा मनमाना है और परिवारिश रेस्पोडेन्ट है। जो आरवेट्रेरी , विधि विरूद्व है । जो पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विपरीत है। निर्णय जैर अपील अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 10/9/2014 पारीत करने से पूर्व अपीलांट को कोई विधिवत सुनवाई का सम्मननोटिस प्राप्त नही हुआ और विना सुने व सुनवाई का समूचित अवसर दिये विना ही एक पक्षीय मात्र पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट व वयान के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। जबकी विधिवत तोर पर निर्णय पारित करने से पूर्व कानूनन नोटिस दिया जाना व साक्ष्य सुनवाई व जबाब देही का अवसर दिया जाना आवश्यक है। ऐसा पारित निर्णय नैसर्गित न्याय के सिद्धातो के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

यहकि पटवारी हल्का गुवरैडा द्वारा न तो मौके पर जाकर मौका अवलोकन किया ना ही कोई आस पडोस के गवाहान से कोई पूछताछ की और बगैर मौका जॉच किये विवादित भूमि खसरा नं. 362 रकवा 5 वीघा 16 विस्वा गैर मुमकिन वेहड मे से रकवा 2 वीघा भूमि पर प्रार्थी अपीलांट का कब्जा मानते हुए झूठी रिपोर्ट कर दी जवकि बाद ग्रस्त भूमि पर प्रार्थी अपीलांट का मौके पर कोई कब्जा काश्त व उपयोग नही है ना ही कोई फसल काश्त की गई है रंजिशवश फसल बाजरा व तिली काश्त करना व कब्जा करना अपनी रिपोर्ट मे दर्ज कर द्वैषता पूर्ण तरीक से रिपोर्ट दी गयी है। अपीलांट का कभी भी कोई सरकारी भूमि पर अतिकमण करने व फसल काश्त करने की चेष्टा नही की है। नाही विवादित भूमि पर कब्जा / अतिक्रमण है। कब्जे वावत रिपोर्ट पटवारी हल्का से तलव की जा सकती है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे गलत तोर पर अंकित किया है कि गैर सायल पश्चावर्ती अतिकमी हैं। निस्तारण करने से पूर्व प्रार्थी को न तो कोई सम्मन नोटिस तामील हुए है ना ही कोई सुनवाई साक्ष्य,जवावदेही का अवसर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिया है एसी सूरत मे एक तरफा निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलांट को हैरिसमैन्ट करने व दबाब डालने की बदनीयती से सजा व पैनल्टी से दण्डित करने मे कानूनी भूल की है। और बादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कोई कब्जा नही है जिसके वावत अपीलांट अण्डरटेकिंग पेश करने को तैयार है भविष्य मे कोई अतिक्रमण व कब्जा नही करेगा ।

जिला कलक्टर
करौली

अन्त मे अपीलान्ट ने अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.09.2014 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को मौखिक बहस में दोहराते हुए कथन किया की अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई, साक्ष्य व जवावदेही का पर्याप्त अवसर नही दिया है। और नाही अपीलांट को कोई सम्मन नोटिस दिया गया है। आराजी से अपीलांट ने पूर्व मे ही कब्जा छोड दिया है और वर्तमान मे अपीलांट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा/काश्त नही है। इस सम्बन्ध मे अपीलान्ट ने आराजी से अतिक्रमण हटा लिया है। भविष्य मे, मैं किसी भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण नही करूगा। इस बावत अण्डर टेकिंग प्रस्तुत कर अपीलांट की सजा माफ किये जाने का निवेदन किया है।

पैरोकार सरकार ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट ने सम्वत 2071 मे आराजी खसरा नम्बर 362 रकबा 2 बीघा किस्म गैरमुमकिन वेहड ग्राम गुवरेडा की भूमि मे काश्त तिली जोत कर अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है तहसीलदार मासलपुर ने जो निर्णय पारित किया है वह सही है अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जावे।

हमने उभय पक्षकारान की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 362 रकबा 2 बीघा किस्म गैर मुमकिन वेहड ग्राम गुवरैडा भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए पटवारी हल्का ग्राम गुवरैडा तहसील मासलपुर ने अतिक्रमण की जो रिपोर्ट की है उस पर अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 91 की कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित कर अपीलांट को तीन माह कि सिविल कारावास कि सजा व 50 रूपये की शास्ती आरोपीत कर बेदखल करने का आदेश दिया है। इस वावत अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा मे अण्डर टेकिंग पेश कर निवेदन किया है कि अपीलान्ट ने भूमि से अतिकमण/कब्जा हटा लिया है एवं मै भविष्य मे सरकारी जमीन पर कभी भी अतिकमण/कब्जा नही करूंगा व मौके पर जमीन खाली पडी हुई है। अतः अपीलांट की सिविल कारावास की सजा माफ करने का निवेदन किया है। अतः अपीलांट को अनुतोष के रूप मे तीन माह के सिविल कारावास की सजा के दण्ड को माफ करना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। पत्रावली इस निर्देश के साथ तहसीलदार मासलपुर को रिमाण्ड की जाती है कि यदि अपीलांट ने वास्तव मे मौके से अतिक्रमण हटा लिया है। एवं भविष्य मे अतिचार नही करने वावत लिखित मे शपथ पत्र प्रस्तुत कर देवे कि वह भविष्य मे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नही करेगा तो सिविल कारावास कि सजा अपास्त रहेगी। अन्यथा तहसीलदार मासलपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.09.2014 यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2017 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अभिमन्यु कुमार)
(आई.ए.एस.)
जिला कलक्टर
करौली